न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 18/2025

मोहम्मद अरशद पुत्र श्री महताब अहमद, उम्र 27 वर्ष, निवासी 340, ईमाबाडा गली, वी रोड, मदनगंज, किशनगढ।
...........**प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार/संबधित प्रभारी अधिकारी महोदय, कृषि विभाग, चौरसियावास रोड, वैशाली नगर, अजमेर
2. श्रीमान् पुलिस थाना अधिकारी महोदय, पुलिस थाना किशनगढ, जिला अजमेर

...........**अप्रार्थी**

उपस्थित :–

श्री शिव लाल यादव	सहायक निदेशक	पेरोकार सरकार
श्री प्रयागधर हरित	अभिभाषक	प्रार्थी

(सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र वास्ते जब्तशुदा वाहन को निर्मुक्त करने बाबत)

आदेश

दिनांक– 05.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा की गई कार्यवाही के तहत मै0 भूमि एग्रो इण्डस्ट्रीज, उदयपुरकलां, किशनगढ, जिला अजमेर के संस्थान को सीज कर उपरोक्त प्रकरण दर्ज कराया गया था। पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रार्थी के वाहन संख्या RJ 42 GA 4569 का बजाज मक्सिमा कारगो टैम्पो को उपरोक्त प्रकरण में जरिये वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी के वाहन को झूठे मुकदमें/कार्यवाही के आधार पर जब्त किया गया है। प्रार्थी के वाहन का घटना से कोई सरोकार नहीं रहा है। प्रार्थी का कार्य मात्र ग्राहक के सामान को एक से दूसरे स्थान पर पहुँचाना होता है। ओर इसी से वह अपनी रोजी रोटी चलाता है। प्रार्थी के वाहन सबंधी समस्त जांच पूर्ण की जा चुकी है। प्रकरण के अनुंसधान एवं निस्तारण में अभी समय लगने की संभावना है। उक्त वाहन के अभाव में प्रार्थी को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी का वाहन उसकी रोजी रोटी का एक मात्र साधन है। उक्त वाहन के पुलिस थाने में खुले में रखा होने एवं उचित सार–संभाल के अभाव में खराब होने की पर्याप्त संभावनाएं है। प्रार्थी के वाहन को सुपुर्दगीनामे पर लेने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित संतोषप्रद जमानत मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रार्थी के वाहन को सुपुर्दगीनामे पर छोड़े जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण से टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पर उभय पक्ष को सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा की गई कार्यवाही के तहत मै0 भूमि एग्रो इण्डस्ट्रीज, उदयपुरकलां, किशनगढ, जिला अजमेर के संस्थान को सीज कर उपरोक्त प्रकरण दर्ज कराया गया था। पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रार्थी के वाहन संख्या RJ 42 GA 4569 का बजाज मक्सिमा कारगो टैम्पो को उपरोक्त प्रकरण में जरिये वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी के वाहन को झूठे मुकदमें/कार्यवाही

जिला कलक्टर
अजमेर

के आधार पर जब्त किया गया है। प्रार्थी के वाहन का घटना से कोई सरोकार नहीं रहा है। प्रार्थी का कार्य मात्र ग्राहक के सामान को एक से दूसरे स्थान पर पहुँचाना होता है। ओर इसी से वह अपनी रोजी रोटी चलाता है। प्रार्थी के वाहन संधी समस्त जांच पूर्ण की जा चुकी है। प्रकरण के अनुंसधान एवं निस्तारण में अभी समय लगने की संभावना है। उक्त वाहन के अभाव में प्रार्थी को काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी का वाहन उसकी रोजी रोटी का एक मात्र साधन है। उक्त वाहन के पुलिस थाने में खुले में रखा होने एवं उचित सार–संभाल के अभाव में खराब होने की पर्याप्त संभावनाए है। प्रार्थी के वाहन को सुपुर्दगीनामे पर लेने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित संतोषप्रद जमानत मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र वास्ते मुआवजा व क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थी के वाहन को सुपुर्दगीनामे पर छोडे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करने बाबत् निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर ने टिप्पणी प्रस्तुत कर डॉ0 सौरभ गर्ग तत्कालीन सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर एवं उर्वरक निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.05.2025 को भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज विनिर्माण इकाई परिसर पर नमूने आहरित कर उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 28 (1)(डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई थी उक्त जब्ती की कार्यवाही के दस्तावेजों, मौका पर्चा एवं एफ.आई.आर में ट्रेलर (टाटा सिग्ना) वाहन संख्या RJ 42 GA 4569 का विवरण दर्ज नहीं है।

थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ़ जिला अजमेर ने टिप्पणी प्रस्तुत कर दिनांक 31.05.2025 को परिवादी श्री सौरभ गर्ग पुत्र श्री हर्षवर्धन जैन जाति जैन उम्र 35 साल निवासी 203 विजया सरिता एनक्लेव पंचशील नगर अजमेर हाल बीज उवर्रक एवं कीटनाशी निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि विभाग, जिला परिषद अजमेर ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि उदयपुर कलॉ में चल रही नकली खाद बनाने की फैक्ट्री के सबंध में एफ.आई.आर. दर्ज बाबत प्रस्तुत कर श्री महेन्द्र कुमार का एक शिकायती पत्र माननीय कृषि मंत्री जी को प्राप्त हुआ था जिसमें श्री महेन्द्र कुमार ने उदयपुर कलॉ में भूमि एग्रो इंडस्ट्री एवं अन्य फर्मो के द्वारा बनाए जा रहे नकली खाद से सबंधित शिकायत थी। जिसमें जांच में पाया कि फैक्ट्री सोमिल जैन एवं राकेश कुमार जैन की पार्टनरशिप में चलाई जा रही थी। जांच किये जाने पर अमर शक्ति (फेरस सल्फेट) के 1200 नग, अमर शक्ति जाइम के 1740 नग, सरताज जिप्सम के 15200 नग, अमर शक्ति फॉसफों जिप्सम के 8000 नग एवं अमर शक्ति (कैल्सीअम सल्फर मैगनिसियम के 1600 नग खाली कट्टे पाए गए, इसके अतिरिक्त फैक्ट्री के गोदाम की जांच करने पर बडी मात्रा में मार्बल सलरी पाई गई, जिसका नकली उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाना सामने आया, फैक्ट्री और गोदाम की जांच करने पर Mineral granules लिखे हुए 31787 भरे हुए कट्टे पाए गए जिसमें नकली उर्वरक निर्माण करने हेतु कच्चा माल बताया गया था फैक्ट्री में विद्यमान लोगो से बात करने पर वो उर्वरक के कच्चे माल के क्रय एवं उर्वरक के विक्रय का कोई हिसाब नहीं दे पाया इससे पता चलता है कि पूर्णत फर्जीवाडा कर नकली उर्वरक बनाया जा रहा था, उक्त नकली खाद को विभिन्न प्रचलित ब्रांडों के कट्टो में भरकर पैक कर दिया जाता है इस प्रकार से हर प्रकार के प्रचलित ब्रांड के

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

कट्टे बनाए जाते है, जब्त किये गए काफी कट्टो पर फर्जी आईएसआई / आईएसओ मार्क अंकित किया हुआ था इस प्रकार से अभियुक्तगण ने राज्य एवं अन्य राज्य के डिस्ट्रीब्यूटर एवं डीलर के साथ मिलीभगत कर नकली खाद बना कर उपजाउ मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करने एवं जनता के स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए जानबुझ कर केवल आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक षडयन्त्र रचते हुए किसानो सरकार एवं आमजन के साथ धोखाधडी का कार्य किया जा रहा था, जांच के बाद फैक्ट्री को सील करके, उपलब्ध सामान जब्त किया गया एवं माल का सैम्पल लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया, इस प्रकार से सोमिल जैन एवं राकेश कुमार जैन ने पार्टनरशिप में गंभीर अपराध कारित किया है, अत बीएनएस की धारा 318, 61 (2) एवं अन्य धाराये **Essential commodity act** की धारा 3/7 **fertilizer control order 1985** की धारा 19 एवं 35 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर उचित कार्यवाही करवाने की कृपा करे, आदि रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 95/2025 धारा 318 (4), 61 (2) बीएनएस 3/7 ई सी एक्ट 19 एफ सीओ 1985 में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। बजाज मैक्सिमो कारगो वाहन नम्बर RJ 42 GA 4569 जिसमें भूमि एग्रो इण्डस्ट्रीज उदयपुर कलां में तैयार हुआ मिलावटी/नकली खाद के कट्टे भरे हुए होने से उक्त वाहन को कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा ही मौका पर फैक्ट्री के साथ ही सीज किया गया था। उक्त वाहन को पुलिस विभाग द्वारा जब्त नहीं किया गया है मन अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त वाहन के सबंध में कोई. अनुसधान नहीं किया गया है। प्रकरण हाजा में अनुसंधान जारी है। अतः भूमि एग्रो इण्डस्ट्रीज उदयपुर कला में सीज किये गये बजाज मैक्सिमो कारगो वाहन नम्बर RJ 42 GA 4569 को रिलीज करने के सबंध में कृषि विभाग के अधिकारियो द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर की टिप्पणी दिनांक 15.07.2025 में डॉ0 सौरभ गर्ग तत्कालीन सहायक निदेशक कृषि (वि0) अजमेर एवं उर्वरक निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.05.2025 को भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज विनिर्माण इकाई परिसर पर नमूने आहरित कर उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 28 (1)(डी) के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई थी उक्त जब्त की कार्यवाही के दस्तावेजों, मौका पर्चा एवं एफ. आई.आर. में बजाज मैक्सिमो कारगो वाहन संख्या RJ 42 GA 4569 का विवरण दर्ज नहीं होना अंकित किया गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ अजमेर ने अपनी टिप्पणी दिनांक 18.07.2025 में उक्त वाहन को पुलिस विभाग द्वारा जब्त नहीं किया जाना एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त वाहन के सबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया जाना अवगत कराया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 08 में उल्लेखित किया गया कि उक्त वाहन को पुलिस थाने में रखा होना अंकित किया गया जबकि थानाधिकारी किशनगढ़ की रिपोर्ट में उक्त वाहन पुलिस विभाग द्वारा जब्त नहीं किया जाना अवगत कराया गया हैं। अतः पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसे कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है जो कृषि विभाग द्वारा उक्त वाहन को सीज किया जाना दर्शाता हो, साथ ही कृषि विभाग द्वारा की गई जब्ती में भी उक्त वाहन को सीज किये जाने का उल्लेख नहीं हैं। थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर के प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0095 दिनांक 31.05.2025 में भी उक्त वाहन का कोई उल्लेख नहीं होने व उक्त बजाज मैक्सिमो कारगो वाहन सं.

जिला कलेक्टर
अजमेर

RJ 42 GA 4569 प्रकरण में जब्त नहीं होने से प्रार्थी का सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होना प्रतीत होता हैं। तद्नुसार प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुआवजा व क्षतिपूर्ति राशि के सम्बन्ध में अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। साथ ही प्रार्थी/सुपुर्दगीगार का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर